न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 50/20 **सन् 2020**

जीसीएमएस संख्या 2020/00099

बउनवानी–चन्द्र मोहन पुत्र रामदयाल जाति रेगर निवासी भगवतगढ़ तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश क्षेत्रीय वन अधिकारी सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 04/2013 निर्णय दिनांक 29.05.2020 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री अब्दुल बहाव — वकील अपीलान्ट

2. श्री तौफिक मोहम्मद — वकील रेस्पो.(पैरोकार)

–: निर्णय :– **दिनांक 09.04.2021**

अपीलान्ट द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 04/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल किया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एंव विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वर्ष,2013 में वनखण्ड 78 मेन भगवतगढ की भूमि आराजी ख0न0 2760/5212 रकबा (132x46 Mt.) 0.6468 है0, वन भूमि पर जोत लगाकर अवैध कब्जा करने के आशय की रिपोर्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा वन अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा वन प्रसार सहायक, वन रक्षक, वृक्षपालक के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है तथा इस तथ्य पर भी गोर नही फरमाया कि अपीलान्ट के पिता रामदयाल का आज से करीब दो वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है फिर भी अदालत मातहत द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश जैर अपील पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि वनखण्ड 78 में भगवतगढ के खसरा 2760/5212 रकबा 0.6468 है0 वन भूमि पर अवैध कब्जा होना मानकर निर्णय जेरे बहस पारित किया जबकि अपीलान्ट व अन्य को ख0न0 2755, 2760,2754, 2758,2679 वन भूमि पर अवैध कब्जा करने का नोटिस जारी किया है जो आपस में विरोधाभाषी है इसलिए नोटिस व निर्णय में विरो[illegible] अपील निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट या उसके पिता द्वारा [illegible] भूमि पर अवैध कब्जा नही है बल्कि वास्तविकता यह है कि साबिक [illegible] रकबा था मे से 5 बीघा भूमि अपीलान्ट को आवंटित होने पर [illegible] आ रहा है और अभी [illegible] हुए सेटलमेंट द्वारा अपीलान्ट के पिता रामदयाल की नवीन ख0न0 2760 रकबा 1.26 है0 [illegible]तेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की है, लेकिन रेस्पो. उक्त भूमि को [illegible] भूमि बता रहे है। यह [illegible]ल्लेखनीय है कि अपीलान्ट के पिता रामदयाल को नवीन ख0न0 2760/5212 रकबा 0.6468 है0 व आनन्दा पुत्र जयकिशन को ख0न0 2760/5212 रकबा 0.92 है0 का अतिक्रमी माना है परन्तु ख0न0 2760/5212 का कुल रकबा जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के मुताबिक 0.94 है0 ही दर्ज है तो किस प्रकार अवैध

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:24:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कब्जा माना है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.07.2020 को अपीलान्ट को बेदख करने की कार्यवाही करने हेतु कहने पर प्राप्त हुई, प्राप्त जानकारी के अनुसार मुझ अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा–5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरवायी जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट के पिता को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के पिता के नोटिस की स्वंय अपीलान्ट के पिता रामदयाल से विधिवत करवायी गयी विधिवत तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्ट के पिता रामदयाल ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 24.12.2013 को जवाब नोटिस पेश कर बताया कि साबिक खसरा नम्बर 1746 का काफी बडा रकबा है जिसमे से अपीलान्ट को दिनांक 30.6.1973 को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसको अपीलान्ट के पिता काश्त करता है। चूंकि साबिक ख0न0 1746 काफी बडा रकबा होने के कारण व नक्शे मे तरमीम नही है। मुझ अपीलान्ट के अतिरिक्त ग्राम भगवतगढ के अन्य व्यक्तियों को भी उक्त ख0न0 मे आवंटन हुआ है ओर सभी आवंटी अपनी–अपनी आवंटित भूमि पर काबिज होकर काश्त कर लाभ प्राप्त करते चले आ रहे है। अभी हाल मे हुए सेटलमेंट के दौरान अपीलान्ट को आंटित भूमि के नये ख0न0 2760 रकबा 1.26 है0 की खातेदारी अंकित कर नया राजस्व रिकार्ड जारी किया है। यद्यपि अपीलान्ट का यह कथन उचित है कि आदेश जैर अपील अपीलान्ट के मृतक पिता रामदयाल जो कि दो वर्ष पूर्व फोत हो चुके है कि विरूद्व पारित किया गया है किन्तु उस वक्त अपीलान्ट के पिता द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर अपीलान्ट के पिता को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट के पिता का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच तहत अदालत मातहत द्वारा वन रक्षक, श्यामलाल जागा व वृक्षपालक चौथमल मीना के लिये गये बयानो के आधार पर अपीलान्ट का अतिक्रमण साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जैर अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अदालत मातहेत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट के पिता को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट के पिता की तलवी हेतु जारी नोटिस की स्वंय अपीलान्ट के पिता से करवायी गयी तामील से हो जाती है तथा नोटिस की पालना मे अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.12.2013 को अदालत मातहेत के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया है किन्तु अपीलान्ट का यह कथन भी उचित है कि अपीलान्ट के पिता रामदयाल का दिनांक 6.8.2017 को देहान्त हो चुका है इसके बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित किया है। चूंकि आदलत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मृतक व्यक्ति के विरूद्व पारित किया है जो विधिसम्मत नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय [illegible] जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:24:00 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर [illegible] आंशिक स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण [illegible] के साथ (remand) प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक रामदयाल [illegible] पर लिया जाकर उनको सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर